न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 160 / 2020
3. उनवान : सरकार जरिये थानाधिकारी, थाना शाहपुरा
बनाम
श्री सिमरनजीत सिंह पुत्र श्री गुरबक्श सिंह निवासी R/O A145 सिपला अपार्टमेन्ट साहिबाबाद थाना साहिबाबाद उत्तरप्रदेश।
4. निर्णय दिनांक : 13 / 02 / 2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी थानाधिकारी, पुलिस थाना शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 08.06.2010 को सी0ओ0 शाहपुरा ने मय फर्द जब्ती के बमुकाम पेश की जिसमें अंकित है कि सी0ओ0 शाहपुरा की सूचना मिली कि मय जाप्ता थाने की गश्त के दौरान एन0एच0 8 बाजवा ढाबा तन ढाणी गैसकान पर अप्रार्थी उपस्थित मिला व ढाबे पर देशी शराब पायी गयी। ढाबे पर काफी मात्रा में रसोई गैस के सिलेण्डर भी रखे हुये हैं। जिसके संबंध में अप्रार्थी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। सी0ओ0 शाहपुरा मय जाप्ता उक्त ढाबे पर पंहुचे। दौराने निरीक्षण होटल परिसर में स्थित टीन शेड के कमरे में 16 गैस सिलेण्डर रखे मिले। जिनमें से 8 घरेलू सिलेण्डर भरे हुये व 8 घरेलू सिलेण्डर खाली मिले। उक्त घरेलू सिलण्डरों के बारे में अप्रार्थी द्वारा कोई संतोषजनक जवाब व संबंधित दस्तावेज नहीं देने पर उक्त घरेलू सिलेण्डरों को जब्त किया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र, फर्द जप्ती व एफ.आई.आर. की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को कई बार साधाराण नोटिस भेजे गये परन्तु तामील नहीं हो पाये। तदुपरान्त रजि0 नोटिस भेजे गये जो एक माह व्यतीत होने पर लौटकर प्राप्त नहीं हुये। आज भी बारम्बार आवाज दिलाई गई बावजूद अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवही अमल में लाये जाने के आदेश दिये गये। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को मय वाहन राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 13 / 02 / 2025 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 08.06.2010 को थाने की गश्त के दौरान एन0एच0 8 बाजवा ढाबा तन ढाणी गैसकान पर ढाबे पर देशी शराब पायी गयी। ढाबे पर काफी मात्रा में रसाई गैस के सिलेण्डर भी रखे हुये थे। जिसके संबंध में अप्रार्थी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उक्त में से 8 घरेलू सिलेण्डर भरे हुये व 8 घरेलू सिलेण्डर खाली मिले। उक्त घरेलू सिलण्डरों के बारे में अप्रार्थी द्वारा ना तो मौके पर कार्यवाही के दौरान ना आज तक कोई संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित भी नहीं हुआ ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया। इससे प्रतीत होता है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का अवैध क्रय विक्रय किया जा रहा है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम आज तक पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा जब्त 8 घरेलू सिलेण्डर भरे हुये व 8 घरेलू सिलेण्डर खाली कुल 16 सिलेण्डर (एचपी) को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, जयपुर द्वितीय को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त सामग्री को नियमानुसार अन्तिम निस्तारण किया जाकर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13 / 02 / 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर